

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर नगर निगम हैरिटेज निलम्बित मेयर पति सुशील गुर्जर की मिली एसीबी कोर्ट से एक दिन की पुलिस अभिरक्षा।

जयपुर, 07 अगस्त, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय पर एसयू-प्रथम इकाई द्वारा जयपुर नगर निगम हैरिटेज के मेयर पति एवं दो दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) पट्टा जारी करने की एवज में 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथे गिरफ्तार प्रकरण में आज मुल्जिमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी सुशील गुर्जर को 01 दिन पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया एवं 02 आरोपीगण नारायण सिंह व अनिल दुबे को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल करवाया गया है।

एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में श्री राजेन्द्र नैन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सुशील गुर्जर की इत्तिला से उसके कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर की बरामदगी कर उसके संबंध में एवं नोटशीटों के संधारण के संबंध में गहन पूछताछ कर प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।